न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 01/2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/42

1. सलविन्द्र उर्फ सविन्द्र सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति मजबीसिख निवासी 53 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. भूपराम पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई निवासी 53 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़
2. राजाराम पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई निवासी 53 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़
3. रमेश कुमार पुत्र जगदीश राम जाति बिश्नोई निवासी 53 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ
4. ग्राम पंचायत 48 एनपी (बगीचा) पंचायत समिति रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

–गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री साहबराम, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री हरेन्द्र शेखों, अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता/अप्रार्थी सं. 1–2
3. एकपक्षीय, अप्रार्थी सं. 3
4. अनुपस्थित, अप्रार्थी सं. 4

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 09.10.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि– निगरानीकर्ता के द्वारा जरिए अधिवक्ता यह निगरानी ग्राम पंचायत 48 एनपी (बगीचा) पंचायत समिति रायसिंहनगर द्वारा आबादी चक 53 एनपी के भूखण्ड सं. 55 का नामान्तरण बिना दिनांक का अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में दर्ज किये जाने के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5/14 मियाद अधिनियंम के प्रस्तुत की गयी है।

2. निगरानी मियाद बिन्दू पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज की जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्ध दिनांक 17.05.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 1–2 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम का पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 4 के द्वारा ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी गयी।

3. अधिवक्ता निगरानीकर्ता अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी सं. 4 ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत रिकार्ड में किया गया अंकन विधि विरूद्ध है, कोई दिनांक अंकित नहीं है, प्रार्थी आज भी भूखण्ड पर काबिज है। प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिए रिकार्ड में अंकित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। ग्राम पंचायत 48 एनपी के द्वारा प्रार्थी को भूखण्ड सं. 55 साईज 55 गुणा 100 वर्गफुट का आवंटन किया गया था जिस पर प्रार्थी व उसका परिवार शान्तिपूर्वक आबाद है। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा बैयनामा वर्ष 1996 का कथन किया गया है परन्तु उनका भूखण्ड पर कोई निर्माण या उनके पास कोई स्थगन आदेश नहीं है। वर्ष 2023 में जब वे टावर लगाने आए तो प्रार्थी को उक्त आदेश का ज्ञान हुआ। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में निगरानी हेतु कोई मियाद अवधि उल्लेखित नहीं है तथा निगरानीधीन आदेश में भी तिथि अंकित नहीं है इसलिए निगरानीकर्ता की निगरानी को अन्दर मियाद ग्रहण किया जावे। अप्रार्थी का बैयनामा दिनांक 17.01.1996 को लिखा गया है जो 18.01.1996 को पंजीबद्ध हुआ है जिससे स्पष्ट है कि बैयनामा कूटरचित है। भूखण्ड पर कब्जा के संबंध में अप्रार्थी के पास कोई साक्ष्य दस्तावेज नहीं है। जब अप्रार्थी द्वारा टावर लगाना चाहा

जिला कलक्टर अनूपगढ़

तो प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद सिविल न्यायाधीश रायसिंहनगर के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.08.2023 को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया है व अपील मा. अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 30.01.2024 को इसी आधार पर निरस्त कर दी गई। वाद अभी विचारण न्यायालय में विचाराधीन हैं। उक्त भूखण्ड अप्रार्थी सं. 1 भूपराम से आगे अप्रार्थी सं. 2 राजाराम को बेचान करने का अंकन किया गया है परन्तु इसका कोई दस्तावेज नहीं है। राजाराम द्वारा अपने भतीजे अप्रार्थी सं. 3 रमेश कुमार को भूमि बैयनामा से विक्रय कर दी है परन्तु अप्रार्थी सं. 3 के नाम से रिकार्ड में इंतकाल नहीं हुआ है। अतः तथाकथित बैयनामा के आधार पर दर्ज नामान्तरण विधि विरूद्ध एवं शून्य है। ग्राम पंचायत अभिलेख में आबादी 53 एनपी भूखण्ड सं. 55 के दर्ज बिना तारीख के अप्रार्थी के नाम इन्द्राज को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

4. अधिवक्ता अप्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि बैयनामा के आधार पर भूखण्ड अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज किया गया है, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को अपने भूखण्ड में से आधा भूखण्ड पूर्वी हिस्सा जरिए पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 17/18.01.1996 विक्रय किया था, इसके पश्चात अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा भूखण्ड अप्रार्थी सं. 2 को जरिए पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 30.11.2009 के विक्रय किया गया तथा अप्रार्थी सं. 2 द्वारा भी पंजीबद्ध बैयनामे दिनांक 01.02.2019 से उक्त भूखण्ड अप्रार्थी सं. 3 को विक्रय किया जा चुका है। मा. सिविल न्यायाधीश रायसिंहनगर के द्वारा प्रार्थी का वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अपने निर्णय दिनांक 19.08.2023 के द्वारा निरस्त कर दिया है तथा इसकी अपील भी न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 30.01.2024 को निरस्त कर दी गयी है। दोनों आदेशों में मा. न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा करवाए गए बैयनामा दिनांक 17/18.01.1996 को त्रुटिहीन पाया है। निगरानी अत्यंत देरी से प्रस्तुत की गयी है जिसका स्पष्टीकरण प्रार्थी द्वारा नहीं दिया गया हैं, प्रार्थना मियाद अस्वीकार कर निगरानी इसी स्तर पर खारिज करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण का आगे कथन है कि निगरानीकर्ता के द्वारा कथन किया गया है कि इंतकाल गलत दर्ज हुआ है परन्तु निगरानीकर्ता को निगरानी लाने का कोई अधिकार नहीं है चूंकि उक्त भूखण्ड में निगरानीकर्ता का कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि उनके द्वारा भूखण्ड जरिए पंजीबद्ध बैयनामा से विक्रय किया जा चुका है। इंतकाल केवल मात्र संक्षिप्त प्रक्रिया है जो कि बैयनामा के आधार पर दर्ज की गयी है। मा. सिविल न्यायालय से प्रार्थी को अनुतोष नहीं मिला तो इस न्यायालय में आए है। मा. न्यायालय एंव मा. सिविल न्यायालयों में भिन्न–भिन्न तथ्य रखे हैं। न्यायालय में प्रार्थी क्लीन हैण्ड से नहीं आए है। निगरानीधीन भूखण्ड पर प्रार्थी को कोई हक हिस्सा नहीं हैं निगरानी अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

5. वकील उभययपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत के अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत 48एनपी(बगीचा) के रजिस्टर खसरा आबादी चक 53 एनपी का अवलोकन करने पर पाया कि खसरा सं. 55 अहाता बनाम सविन्द्र सिंह व राजाराम दर्ज है जिसका कुल साईज 100 गुणा 50 कुल 5000 वर्गफुट है। पंजिका पृष्ठ के अंतिम स्तम्भ शीर्षक –विवरण में उक्त अहाता सं. 55 के आगे अंकित है कि "ग्राम पंचायत बगीचा द्वारा 10.11.72 को निःशुल्क अलाट किया गया। इसके पश्चात अहाता सं. 55 का 1/2 भाग सविन्द्र सिंह द्वारा भूपराम/बुधराम को तथा इसके पश्चात अ.नं. 55 का 1/2 पूर्वी पासा राजाराम/बुधराम बिश्नोई का बैयनामा के आधार पर इंतकाल किया गया" अंकित है। उक्त प्रविष्ठि दर्ज करने में बैयनामा दिनांक एवं दर्ज करने की तिथि अंकित नहीं है, जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गयी है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में निगरानी प्रस्तुत किये जाने की कोई समयावधि/मियाद निर्धारित नहीं है तथा निगरानीधीन आदेश में भी तिथि अंकित नहीं है जिससे मियाद की गणना की जा सके। इसके अतिरिक्त ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बगीचा के द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.07.2024 के द्वारा अवगत करवाया गया है कि अहाता सं. 55 को तत्कालीन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने बैठक कार्यवाही में नहीं लिया और इससे संबंधित और कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा केवल खसरा रजिस्टर ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता की निगरानी ग्रहण की जाती हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

6. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज छायाप्रति निर्णय मा. न्यायालय सिविल न्यायाधीश, रायसिंहनगर दीवानी प्र.सं. 35/2023 सविद्र सिंह बनाम भूपराम अन्तर्गत आ.39 नि. 1 व 2 धारा 151 सीपीसी निर्णय दिनांक 19.08.2023 एवं मा. न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 रायसिंहनगर के दीवानी प्र.सं. 40/2023 सविन्द्र सिंह बनाम भूपराम आदि में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2024 की छायाप्रति का अवलोकन किया। मा. न्यायालय सिविल न्यायाधीश, रायसिंहनगर में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को धोखे में रखकर बैयनामा दिनांक 17.01.1996 तथ्यार करवाकर दिनांक 18.01.1996 को उप पंजीयक रायसिंहनगर से पंजीकृत करवा लिया। परन्तु उक्त तथ्य प्रार्थी निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी में अंकित नहीं किए गए है। मा. सिविल न्यायाधीश द्वारा प्रकरण खारिज करते समय निर्णय के बिन्दू सं. 7 में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा विवादित अहाता पर अपना कब्जा दर्शित करने हेतु काई भी सुदृढ़ दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किए गए है, ऐसे में प्रार्थी विवादित अहाता की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बाबत अप्रार्थी भूपराम के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा है। इसी प्रकार मा. अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 रायसिंहनगर द्वारा उक्त निर्णय की अपील इसी आधार एवं अप्रार्थी रमेश कुमार व राजाराम को पक्षकार नहीं बनाए जाने के आधार पर खारिज की गयी है। निगरानीकर्ता के द्वारा प्रमाणित प्रति मा. सिविल न्यायाधीश रायसिंहनगर के प्र.सं. 39/2023 की आदेशिकाओं की प्रतियां प्रस्तुत की गयी है जिस अनुसार प्रार्थी का वाद विचाराधीन है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति बैयनामा दस्तावेजों का अवलोकन किया। बैयनामा दिनांक 17.01.1996 के द्वारा प्रार्थी सविन्द्र सिंह ने अपने आवंटित अहाता सं. 55 में से 1/2 भाग पूर्वी पासा कुल 2500 वर्गफुट अप्रार्थी सं. 1 भूपराम को विक्रय किया गया है बैयनामा उप पंजीयक रायसिंहनगर से दिनांक 18.01.1996 को पंजीबद्ध है। उक्त अहाता वर्तमान में जरिए बैयनामा अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में विक्रय किया जा चुका हैं। निगरानीकर्ता के द्वारा उक्त बैयनामा फर्जी अंकित करते हुए यह निगरानी पेश की है परन्तु बैयनामा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो अथवा निगरानीकर्ता के द्वारा सक्षम न्यायालय में बैयनामा निरस्त करवाने के लिए कार्यवाही की हो अथवा अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज करवाया हो ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया हैं। अप्रार्थीगण के पक्ष में पंजीबद्ध बैयनामा हैं तथा ग्राम पंचायत रिकार्ड में अहाता अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज किया गया हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की निगरानी स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर I.A.S
अनूपगढ़
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)